

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/425-

दिनांक 19/2/13

विज्ञप्ति

इस विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक: एफ23(45)लेखा. /निकाशि/मुउशिछायो/ 2012-13/115 दिनांक: 24-12-2012 से पूर्व में "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना-2012" के आवेदन पत्र महाविद्यालयों में प्राप्ति की तिथि 28 फरवरी, 2013 के स्थान पर दिनांक: 31 मार्च, 2013 तक बढ़ाई जाती है। निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होंगे।

(आर. एस. मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक-

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/निकाशि/मुउशिछायो/2012-13/426-435 दिनांक 19/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 5. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा।
 6. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 7. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में राजस्थान के समस्त संस्करणों में निशुल्क प्रकाशित कराने का श्रम करें। इस हेतु विज्ञप्ति की पांच प्रतियां संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
 8. समस्त नोडल अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करें तथा अग्रिम बजट प्राप्ति हेतु दिनांक: 15-03-2013 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से अवगत करायें जिससे बजट आवंटन किया जा सके।
 9. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करते हुए प्रतिदिन संबंधित जिला नॉडल अधिकारियों को भिजवाना सुनिश्चित करें।
10. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(आर. एस. मक्कड)

अतिरिक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर